प्रकरण सं0 103/18 अनवान कमला देवी/राधेश्याम

Continuation Note Sheet

22.02.2021

पत्रावली पेश हुई। वकल उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष द्वारा पत्रावली में प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. की बहस समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि वादीया द्वारा सिविल न्यायालय में सिविल वाद दायर कर रखा है, सिविल कोर्ट से स्थगन नहीं मिलने पर इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किये गये वाद में चाहा गया अनुतोष एवं एक ही पार्टी एक ही है तो इस न्यायालय में वादीया को वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। वाद खारिज किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन न्यायिक दृष्टान्त – Citation : 2009(2) DNJ (Raj.) 1053 पेश किया एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) श्रीगंगानगर में दायर वाद कमला देवी वगैरह बनाम राधेश्याम वगैरह वाद की प्रति, जवाब दावा प्रतिवादी, शपथ पत्र वादीया की प्रति की प्रतियां पेश की।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस में कथन किए कि दोनों दावों का अनुतोष अलग अलग है। सिविल न्यायालय में दान पत्र को शून्य करवाने का अनुतोष चाहा गया है एवम् वादीया उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/8 हिस्सा की उत्तराधिकारी है। सिविल न्यायालय में दायर वाद का मैरिट पर फैसला नहीं हुआ है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सी. पी.सी. खारिज किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अध्ययन किया गया। सिविल वाद नम्बरी दीवानी संख्या 24/2012 अनवान कमला देवी बनाम राधेश्याम एवं हस्तगत वाद 103/2018 कमला देवी बनाम राधेश्याम में समान पक्षकार है एव वाद की विषय वस्तुत भी समान है। सिविल वाद में दान पत्र दिनांक 12.08.2011 को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है एवं इस वाद का निर्णय भी उक्त दान पत्र की वैधता निर्धारण के पश्चात् ही संभव है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर सिविल वाद संख्या 24/2012 अनवान कमला देवी बनाम राधेश्याम के निर्णय तक हस्तगत वाद की कार्यवाही स्थगित की जाती है। वाद दायरा नम्बर से कम होकर दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.02.21

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner